

should be implemented immediately without further delay?

Shri B. R. Bhagat: That might have been so; I am not aware of that.

Shri S. M. Banerjee: Sir, may I seek your protection? This is the recommendation of the Pay Commission, and it seems that the Minister has not gone through it.

Mr. Speaker: If the recommendation was made by the workers, perhaps it must have been implemented.

Shri S. M. Banerjee: The hon. Minister stated that one of the recommendations would affect the workers adversely, though in some cases, as for example, the railway employees and others are accepting it.

Mr. Speaker: The hon. Minister has appreciated the implications.

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू, के जन्म-दिन, 14 नवम्बर की छुट्टी भी इन कारखानों में रखने का सरकार का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल यहाँ नहीं उठता है ।

Shri Daji: We would like to be told as to what the recommendations of the Pay Commission are, and what are the prevailing rules on the subject, so that one would be able to appreciate the deliberating effect?

Shri B. R. Bhagat: The provisions of the Factories Act are applicable to most of the industrial employees of the Central Government, and the Factories Act provide facilities for leave and other things. If you compare the terms under the Factories Act and the terms under the Pay Commission's recommendations,

you will find that the terms under the Factories Act in respect of these two matters, that is, earned leave and its accumulation, are more liberal than that. That is the reason why the Cabinet after considering that did not accept it because it would leave the employees worse off.

Shri Daji: On a point of order, Sir. My question was straight as an arrow, but it has been deflected. I wanted to know as to what were the existing terms and what was recommended by the Pay Commission so that we can judge it. I do not want a lecture; I want to know the number of days of earned leave.

Mr. Speaker: These are contained in accessible documents and should not, therefore, be asked for.

Shri Indrajit Gupta: I would like to know, if this matter is so clear as the Minister has stated, why he stated in his answer that it would be referred to the joint council whenever that joint council might come into existence in the distant future.

Shri B. R. Bhagat: Because the Government was absolutely clear, they took a decision taking all these things into consideration. But, as he said, some organisations might still agitate or think like that; therefore, this provisions was made that when the joint council was formed this matter could be settled.

पाकिस्तान द्वारा देय धन

+

{ श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० च० सामन्त :
* 505. श्री सुबोध हंसदा :
श्री विद्यावरण शुक्ल :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या बिस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन से अब तक पाकिस्तान सरकार द्वारा देय धन को वसूल करने के बारे

में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) इस धन को वसूल करने के लिये अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). इस सवाल पर दोनों देशों में लम्बे अर्से से बातचीत चल रही है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा हल नहीं निकल सका जिस पर दोनों सहमत हों।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समय तक कुल कितनी रकम पाकिस्तान पर चढ़ी हुई है, पाकिस्तान उस के सम्बन्ध में क्या हीला-हवाला दे रहा है और समझौता होने में क्या कठिनाइयाँ हैं।

श्री ब० रा० भगत : यह बात तो कई बार सदन में आ चुकी है। हम ने अभी एक डिमांड रखा है कि पाकिस्तान पर हमारी यह रकम वापस चाहिए। पाकिस्तान उस को नहीं मानता है। यह सारी तफ़सील सदन के सामने आ चुकी है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं ने यह पूछा है कि कुल कितनी रकम बाकी है।

अध्यक्ष महोदय : अगर यह सवाल पहले भी इस हाउस में आ चुका है, तो माननीय सदस्यों को पिछले जवाब को भी देखना चाहिए।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या विगत पांच छः महीने में इस विषय में कोई प्रयत्न किया गया है और क्या निकट भविष्य में इस का कोई प्रयत्न किया जायेगा; यदि हाँ, तो क्या ?

श्री ब० रा० भगत : भारत की तरफ से प्रयत्न करने का सवाल नहीं उठता। पिछली बार बातचीत हुई थी, जिस के बारे में एक बयान हमारे वित्त मंत्री ने रखा था। उस में कहा गया था कि पाकिस्तान सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्री को निमंत्रण भेजेगी।

अब तक पाकिस्तान सरकार ने वह निमंत्रण नहीं भेजा है। उस की ओर से बातचीत की कोई चर्चा नहीं है। इस लिए हमारी तरफ से बातचीत करने का कोई सवाल नहीं है।

Shrimati Savitri Nigam: As you yourself are aware, Sir, the Indian Government and the Indian people are the sufferers; so, I would like to know whether in the present case the Pakistan Government is not forthcoming what the Indian Government is thinking of doing and whether any fresh communication is going to be sent in the near future.

Shri B. R. Bhagat: The latter part is a suggestion for action. In a matter like this, when these long protracted difference and difficulties are there, if it is to be settled through negotiations, one can only have patience.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : वित्त मंत्री जी ने कहा है कि पाकिस्तान के द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ अड़चने पैदा की जा रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा अनुमानित राशि कितनी है और पाकिस्तान अपनी कितनी राशि क्लेम करता है।

श्री ब० रा० भगत : ये आंकड़े तो दिये जा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर वे इस वक्त हैं, तो बता दीजिये, क्योंकि पहले भी एक माननीय सदस्य ने यह सूचना मांगी थी।

श्री ब० रा० भगत : इस वक्त मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं।

Shri Ramanathan Chettiar: What is the total amount due from Pakistan, what is the amount of interest that is due from Pakistan and when was the last occasion when the Finance Ministers of Pakistan and India had discussed this matter?

Shri B. R. Bhagat: The matter was discussed during the early part of

1960 and then the Finance Minister made a statement in this House when it was said that we expected further invitation from the Pakistan Government to discuss this matter. Since then it has not come. There, for example, Pakistan raised a big, unrealistic figure of Rs. 900 crores on account of income tax arrears on the date of Partition as against our figures as a bargaining counter.

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार यह बता सकती है कि कब तक यह बातचीत चलेगी और अगर बातचीत से यह मसला तय नहीं हुआ, तो सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : यह तो नहीं कहा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो ज़िन्दगी के साथ चलेगा ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : नकद पैसे के अलावा सोना चांदी और हीरों का कितना रिजर्व उनके पास रह गया है और उस में से अभी तक उन्होंने कितना लौटाया है ?

श्री ब० रा० भगत : अभी तक लौटाया कुछ नहीं है । सोने चांदी के जेवरों का तो सवाल नहीं है । कुछ रिजर्व बैंक के एसेट्स हैं, उस में सोने की बात आ सकती है, जेवर की कोई बात नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : कितना सोना लौटाया है ?

श्री ब० रा० भगत : इसके लिये सूचना चाहिये ।

Shri P. R. Chakraverti : May I know whether the Government has taken into account while estimating the amount of dues from Pakistan the valuable properties left by East Pakistan refugees squeezed out by Pakistan as a result of genocide?

Shri B. R. Bhagat : Our total claims are under various heads, not only

the immovable property but also the movable liabilities, pension liabilities and other things. All these have been totalled up.

Shri Shinkre : Have the Government in any manner connected the question of repayment of debt by Pakistan with the general question of easing of Indo-Pakistan relations thereby having not been very strict in their demand?

Shri B. R. Bhagat : Who have not been very strict?

Shri Shinkre : I am suggesting it.

Mr. Speaker : That suggestion might be taken into account.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, वह जवाब दे रहे थे कि रिजर्व बैंक में कितना हमारा सोना रह गया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इस वक्त उनके पास इसकी सूचना नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उनके पास है, वह कुछ कहने जा रह थे ।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास नहीं है तो मैं निकलवा तो नहीं सकता हूं ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : नहरी पानी का और बिजली का कितना रुपया पाकिस्तान की तरफ बाजिब है ?

श्री ब० रा० भगत : पानी का मामला तो दोनों देशों में तय हो गया है । और बिजली—

अध्यक्ष महोदय : तय हो गया तो कुछ रकम भी मिल गई या रकम वहीं रही और तय हो गया ?

श्री ब० रा० भगत : इसकें लिए अलग से सूचना चाहिये ।

Shri Hem Barua : On the political plane, India's attitude towards Pakistan is one of meek submissiveness. May I know how far this political attitude has had its impact on finan-

cial matters, that is, in the collection of our legitimate dues from Pakistan?

Shri B. R. Bhagat: I do not accept the insinuation of the hon. Member. We are neither submissive nor unduly aggressive. We are very realistic in dealing with them.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: May I know what is Government's estimate of the value of Pakistani assets in India, both private and State?

Shri B. R. Bhagat: According to us, our figure is very much less than the figure that they have claimed, that is, Rs. 900 crores. We have not given an exact figure because we know that once we give a figure like that, they will start from that point.

Mr. Speaker: How could it be less when our surplus evacuee property claims are Rs. 2000 crores and they have claimed only Rs. 900 crores? Rs. 2000 crores were simply for the excess that we had so far as the evacuee property was concerned.

Shri D. C. Sharma: It is an accepted principle of finance that debits are balanced against credits and credits are balanced against debits. Is it not a fact that though Pakistan owes us a lot of money, still we have been paying it money in terms of the Indus Water Treaty and why is it that the money in terms of the Indus water that we owe to them has not been credited to their accounts so far as this country is concerned?

Shri B. R. Bhagat: That Indus Water Treaty has been entered into separately. That has not been treated as a part of this.

Mr. Speaker: That is a fact that we have been paying them whatever they had to draw from us without having our claims adjusted in that. This is the question. Next Question.

दिल्ली बृहद् योजना

+

* 506. { श्री प्रकाशबीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की बृहद् योजना को अन्तिम रूप देने के बारे में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) दोनों पड़ोसी राज्यों में हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) ये योजना क्रियान्वित के लिये कब तक तैयार हो जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) दिल्ली बृहद् योजना को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है और 1 सितम्बर, 1962 से यह लागू हो गई है ।

(ख) दिल्ली बृहद् योजना, जहाँ तक रिंग टाउन्स और नेशनल कैपिटल रीजन से उसका सम्बन्ध है, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके ही तैयार की गई थी ।

(ग) यह बृहद् योजना पहले ही कार्यान्वित की जा रही है । आशा है सारी योजना प्रक्रम से लगभग 20 वर्षों में कार्यान्वित हो जायेगी ।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री : उत्तर प्रदेश और पंजाब की राज्य सरकारों ने उनके जो भाग इस दिल्ली बृहद् योजना में सम्मिलित होंगे, इसके सम्बन्ध में पीछे कुछ आपत्तियाँ प्रकट की थी ? मैं जानना चाहता हूँ कि इन आपत्तियों के सम्बन्ध में भी कोई समाधान हुआ है अब तक अथवा नहीं ?

डा० सुशीला नायर : कोई विशेष आपत्ति नहीं थी । अभी यह सवाल ही नहीं आया है । आपको स्मरण होगा कि कुछ ऐसी